न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी जोधपुर ग्रामीण,
पीठासीन अधिकारी:– पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 36/2021

प्रार्थी:–

1. विजय किशन पुत्र श्री नेनाराम, जाति जाट निवासी– चौधरियो का बास, खेजडली कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

01. नेनाराम पुत्र श्री कालुराम, जाति जाट निवासी– चौधरियो का बास, खेजडली कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. श्रीमति भंवरी देवी पुत्री श्री नेनाराम पत्नी श्री गंगाराम जाति जाट निवासी भाटो की ढाणिया, ग्राम बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर।
03. श्रीमति ममता पुत्री श्री नेनाराम पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नया गावं चोपड़ा के पास तहसील सोजत पाली हाल निवास बनाड़ रोड़ जोधपुर।
04. श्रीमति अणची पत्नि श्री नेनाराम जाति जाट निवासी चौधरियो का बास, खेजडली कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लुणी, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति:–
01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.रावल।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा, श्री प्रहलाद सिंह।

आदेश दिनांक:– 23/10/2023

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया उसके साथ यह एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव खेजडली कंला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर का मूल निवासी है, प्रार्थी द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की संभावना है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पैतृक हिन्दू उत्तराधिकार विरासत की सयुंक्त खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 210 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा खसरा संख्या 502 रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा कूल दोनो खसरान की भूमि 62 बीघा 18 बिस्वा स्थित है, वक्त सेटलमेंट से पूर्व से उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पडदादा स्व. जरूप के कब्जा काश्त में थी जिसमें प्रार्थी के दादा स्व. कालूराम पुत्र जरूप भी काश्त करते थे। कालूराम का देहान्त वर्ष 1976 मे हो गया इसके पश्चात हिन्दू विरासत की पैतृक भूमि का म्यूटेशन अप्रार्थी संख्या नैनाराम व प्रार्थी के काका सुखराम के नाम पर विरासत के आधार पर अंकित किया गया अचल सम्पति में प्रार्थी पैतृक हिन्दू उत्ताराधिकार विरासत की सयुंक्त खातेवारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हक व हक अधिकार रखता है। जिस कारण से प्रार्थी का हक व हिस्सा 1/4 है कब्जा काश्त में आज दिन तक काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी के कब्जा काश्त में दिनांक 1.7.2021 से दखल अदांजी करने लग गये क्योकि अप्रार्थी नैनाराम ने खातेदारी म्यूटेशन होने से उक्त भूमि कों अकेले ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

व 4 को भूमि को अकेले ही बेचान कर दिया जिसका विक्रय विलेख उप पंजीयक लूणी कार्यालय जोधपुर में जुलाई 2021 मे बेचान कर म्यूटेशन हेतु पत्रावली व दस्तावेज पटवार मण्डल खेजडली कंला को सुपुर्द कर पटवार मण्डल से जानकारी प्रार्थी को दिनांक 16.07. 2021 को ज्ञात हुई की पैतृक हिन्दू उत्तराधिकार विरासत की सयुंक्त खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि को अप्रार्थी ने बेचान कर दिया वह आगे से आगे हस्तारंण परिवर्तन करने पर आमदा हो चूका है। प्राथी को अपनी कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारू हो जिसके बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी को जान माल की एलानिया धमकिया दे रहे वह कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी के हक व हिस्से 1/4 भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध रूप से अवैध रूप से विक्रय बेचान कर दिया गया है अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बाले बाले व्यक्ति विशेष से वाद की जानकारी ज्ञात होने पर गुपचूप रूप से भूमि का बेचान कर दिया गया आगे से आगे बेचान व विवाद उत्पन्न करने पर उतारू प्राथी व उसके परिवारजन के साथ दिनांक 17.06.2021 व 01. 7.2021 को मारपीट की व हिंसा की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अन्य ने एलानिया धमकिया दी भूमि को अवैध रूप से बेचान व हस्तारण परिवर्तन कर देगे विवाद करनें लगे काश्त में दखल कर रहें प्रार्थी एक मजदूरी व्यक्ति है, जिसके उपर चार सदस्यो की जिम्मेवारी तथा कृषि करने से रोका गया तो इस माहमारी के समय में अनाज विहिन होना पडेगा प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व अपूर्णीय हानि क्षति व सुविधा का सतुलन प्रार्थी का बखूबी प्रमाणित है अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दिनांक 01.07.2021 से दखल अदांजी करने लगे गये कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न कर रहे प्रार्थी कब्जा काश्त से बेदखल करना चाहेतें क्योकि अप्रार्थी नैनाराम ने खातेदारी म्यूटेशन होने से उक्त भूमि कों अकेले ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 व 4 को भूमि को अकेले ही बेचान कर दिया जिसका विक्रय विलेख उप पंजीयक लूणी कार्यालय जोधपुर में जुलाई 2021 मे बेचान कर म्यूटेशन हेतु पत्रावली व दस्तावेज पटवार मण्डल खेजडली कंला को सुपुर्द कर पटवार मण्डल से जानकारी प्रार्थी को दिनांक 16.07.2021 को ज्ञात हुई की पैतृक हिन्दू उत्तराधिकार विरासत की सयुंक्त खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि को अप्रार्थी 1 ने अकेले ही बाले बाले रूप से बेचान कर दिया वह आगे से आगे हस्तारंण परिवर्तन करने पर भूमि काश्त को विवादित करनें पर आमदा हो चूके है। प्राथी को अपनी कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारू हो जिसके बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी को जान माल की एलानिया धमकिया व कब्जा काश्त से बदेखल करने हेतु प्रयारत है व कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने हिन्दू उत्राधिकार कानन के विपरीत व विधि विरूद्ध रूप से अवैध रूप से उक्त भूमि का विक्रय बेचान अपनी पुत्रीया भंवरी व ममता व पत्नी अणची देवी को कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बाले बाले व्यक्ति विशेष से उक्त वाद दावे की जानकारी ज्ञात होने पर गुपचूप रूप से अप्रार्थी संख्या 1 नें भूमि का बेचान अन्य अप्रार्थीगण कों कर दिया गया आगे से आगे बेचान करनें व कब्जा काश्त से बेदखल करने कब्जा काश्त वह भूमि में विवाद उत्पन्न करने पर उतारू प्राथी व उसके परिवारजन के साथ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 17.06.2021 व 01.7.2021 को मारपीट की व हिंसा धक्के देखल घर से बाहर निकाल दिया वह कब्जा काश्त करनें से रोकने लगे प्रार्थी की कब्जा काश्त में खेती में लगे परिवाजन के साथ मारपीट की वह कृषकों के साथ गाली गलौच किया काश्त में आकर काश्त व काश्त हेतु निर्मित भूमि को नष्ट किया गया अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकिया दी भूमि को अवैध रूप से आगे से आगे बेचान कर भूमि को जटिल रूप से विवादित कर देगे न्यायालय प्रकिया में उलझ कर रहे जायेगे व नाम परिवर्तन भूमि का आगे सें आगे हस्तारंण परिवर्तन कर देगे भूमि से एक राय होकर सभी अप्रर्थीगण प्रार्थी से बलपूर्वक हिंसा कर बेदखल कर देगे जिसके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

बाबत एलानिया धमकिया खुले आम दी जा रही है। जिससे प्रर्थी की काश्त करना कठिन हो गया है दिनांक 01.07.2021 को समाज लोगो ने पक्षों मे विवाद को समाईश की लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नही मानें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 20.6.2021 के प्रार्थी के कब्जा काश्त में खेत बुआई के समय प्रार्थी वह उसके परिवाजन के साथ काश्त में विवाद करनें लगे वह कृषि यंत्रो के आगे विवाद करने लगे रोक दिया वह टेक्ट्रर के आगे आकर लेट गये वह लड़ाई झगडा गाली गलौच व मारपीट हिसा कारित की वह कब्जा काश्त में दखल अदांजी करनें लगे वह एलानिया जान माल धमकिया के कारण व हिंसा व विवाद के कारण वह बेचान नामा पंजीयक कार्यलाय से होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हौसले बुलंद हो गये आये दिन विवाद करते मौके पर आकर काश्त में दखलअदांजी करतें काश्त में जिससे प्रार्थी की बारिश वर्षो के समय काश्त बुआई नही हो पा रही है। अवैध रूप से प्रार्थी के काश्त पर कब्जा करने को उतारू है । अगर अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थी व उसके परिवाजन कों गंभीर हानि व क्षति होगी वह काश्त से बेदखल हो जायेगे व हिंसा के शिकार हो जायेगे को अपूर्णीय क्षति जिसकी भरपाई रूपयों मे आकलन नही किया जा सकता है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में पूर्ण होना असंभव है। प्रार्थी व उसके संतानों का उक्त कब्जा काश्त पर वैधिक टाईटल है। उक्त काश्त भूमि से संबंधित सभी राजस्व विभाग से प्राप्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ मूल वाद में प्रस्तुत की हुई है। अन्य होगे तो वाद में पेश किये जावेगे प्रार्थी के विवाद बिन्दू व तथ्य अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो तथ्य सिद्धांत प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सुतंलन प्रार्थी के हक मे पूर्णतय साबित है । विवादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक, को–पार्सनरी भूमि होने से प्रार्थी व उसकी संतानों का इसमें जन्म से अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी व उसके परिवाजन काश्त करते हैं तथा प्रार्थी व उसके परिवारजन के जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमि काश्त ही है, प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करत काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा उनके व तीनो अस्थाई निषेधाज्ञा के सिद्धात पक्ष में है।

अन्त मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल याद के लम्बित रहने तक अप्रार्थी संख्या 1 से 4 कों अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि ग्राम खेजड़ली कलां खेत खसरा संख्या 210 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा खसरा संख्या 502 रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा कूल दोनो खसरान की भूमि 62 बीघा 18 बिस्वा जिसके राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, तथा भूमिं आगे से आगे बेचान व हस्तान्तरण नही करें एंव प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखल दन्दाजी नही करने का आदेश फरमावें, अन्य उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष मे हो फरमावे।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के तथ्यो का खण्डन कर तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त पदो में प्रार्थी ने गलत कथन किया कि प्रतिवादी संख्या एक परिवार में कर्ता खानदान होने के कारण उक्त खसरो के राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पिता श्री कालुराम व भाई सुखराम ने संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि को स्वअर्जित आय से हासिल किया व प्रतिवादी संख्या एक शुरू से उक्त भूमि पर काबिज काष्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं उपरोक्त भूमि पर लगने वाले सभी खर्चे, लगान, कर इत्यादि प्रतिवादी सं. 1 नैनाराम ने अपने निजी आय से वहन किया है तथा अपने बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण कर उनकी सेवा चाकरी कर उपरोक्त भूमि के सभी खर्चे व उपजाऊ बना कर खेती कार्य करते आ रहे है जिससे उपरोक्त भूमि से शुरू से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

मालिकाना हक अधिकार प्रतिवादी संख्या एक का ही चला आ रहा है, उपरोक्त पदो में वर्णित तथ्य मनगढत व गलत वर्णित किए गए है जबकि वास्तविकता में वाद में वर्णित खसरान की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा नही बनता है एवं उपरोक्त खसरान की संपूर्ण भूमि पर शुरू से प्रतिवादी संख्या 1 व 4 काबिज काश्त चले आ रहे है।,वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का इकलौता पुत्र है जिसकी प्रतिवादी सं. 1 व 4 ने खुब सेवा चाकरी व बहुत अच्छे से पालन पोषण किया व प्रतिवादी सं. 1 व 4 ने मेहनत मजदूरी कर रूपये एकत्रित कर जोधपुर शहर तनावड़ा फांटा में एक भूखंड खरीद कर मकान निर्माण कर अपने पुत्र वादी को दिया एव वादी की शादी व अन्य सभी खर्चे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने वहन किये एवं वादी को अपने पांवों पर खड़ा कर कामयाब बनाया फिर भी वादी ने अपनी पत्नी व बच्चों एवं गांव के अन्य भूमाफिया लोगो के सिखावे में आकर प्रतिवादी सं. 1 व 4 की संपूर्ण जायदाद हड़पने की नीयत से इनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रतिवादी सं. 1 व 4 वादी के वृद्ध माता पिता सीनियर सिटिजन है जो अब मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने में असक्षम है। वादी की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा चाकरी कर भरण पोषण करे लेकिन वादी द्वारा उनका भरण पोषण नही किया जा रहा है उल्टा इनके साथ मारपीट कर इनको घर से बाहर निकाल दिया व इनकी संपूर्ण जायदाद हड़पने पर आमादा है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने अपने भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र बाबत वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण व वृद्ध माता पिता कल्याण अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 28.06.2021 को मान्यवर न्यायालय उपखंड अधिकारी लूणी के समक्ष पेश किया गया जो अभी मान्यवर न्यायालय मे विचाराधीन है, तथा वादी व वादी की पत्नी व पुत्र–पुत्री द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 4 के साथ मारपीट करने पर प्रतिवादी द्वारा पुलिस केस एफआईआर सं. 135 व शिकायत कमांक 8330092100112 पुलिस थाना लूणी में दर्ज करने पर पुलिस कार्यवाही से बचने हेतु व वादी द्वारा अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण से बचाव करने की लिहाज से उपरोक्त वाद आधारहीन विधि विरूद्ध व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है, वादी ने गलत कथन किया कि उपरोक्त खसरा की भूमि में वादी के हिस्से की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है एवं रहवासीय ढाणी व टांका इत्यादि बने हुए है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी द्वारा उपरोक्त खसरो की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त व खेती कार्य नही किया ना ही उपरोक्त खसरो की भूमि मे कोई रहवासीय ढाणियां व टांका बना हुआ है, वादी शुरू से जोधपुर मे निवास करता है व जयपुर स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी मे नौकरी करता आ रहा है, प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि पर शुरू से काश्त करता आ रहा है एवं प्रतिवादी ने उपरोक्त खसरान की भूमि में से अपनी स्वेच्छा से प्रतिवादी सं. 2 से 4 की सेवा चाकरी व स्नेह से प्रसन्न होकर उपरोक्त खसरो मे से रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांषी भूमि प्रतिवादी सं. 2 भंवरी एवं उतनी ही भूमि प्रतिवादी सं. 3 ममता व इतना ही रकबा प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में दिनांक 09.07.2021 को अलग अलग तीन बख्शीशनामों के जरिये निष्पादित कर दिये। तथा उपरोक्त बख्शीशनामा अनुसार वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 से 4 को हिस्से अनुसार कब्जा काष्त सुपुर्द कर दिया वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम उपरोक्त खसरो की 1/4 हक हिस्से की यानि रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांषी भूमि कब्जे काष्त मे रही है जिसका उपयोग उपभोग प्रतिवादी सं. 1 कर रहा है। उसमे भी वादी प्रतिवादी को तंग परेशान कर बाधा उत्पन्न कर रहा है उपरोक्त शेष रही भूमि प्रतिवादी सं. 1 की कब्जा काश्त है जो भूमि अगर वादी पुत्र के नाते अपने वृद्ध माता पिता की सेवा चाकरी करेगा व खर्च वहन करेगा तो प्रतिवादी उपरोक्त भूमि वादी को अपने जीवन के अंतिम समय में सुपुर्द कर देगा। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि पर इस वर्ष खेती की हुई थी उस पर वादी व अन्य लोगो ने मिलकर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

जबरदस्ती उपर खेती करने पर आमादा है जिस बाबत प्रतिवादी ने वादी व अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, उपरोक्त पदों में वादी ने वाद कारण बताया है जो सरासर गलत है एवं उपरोक्त वाद आधारहीन प्रस्तुत किया गया है जो खारिज करने योग्य है, प्रार्थना पत्र के उपरोक्त पदो मे प्रार्थी की ओर से अनुतोष मांगा गया है, जो स्वीकार करने योग्य नही है, क्योकि प्रार्थी के पक्ष मे किसी प्रकार का मामला सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला, व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे नही है, जिससे यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अन्त मे अप्रार्थीगण ने मजीद उजरात एवं इश्तदुआ की है कि प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र सव्य खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागणो की सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया।

बहस के दौरान अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या–1 शुरू से काबिज काश्त, मालिकाना हक अधिकार, उपयोग उपभोग एवं रेकॉर्डड खातेदार चला आ रहा है, जिससे माननीय राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार रेकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, तथा प्रार्थी ने गलत कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को भूमि बैचान कर दी जबकि अप्रार्थी ने अपने हक अधिकारो के तहत अपनी इच्छानुसार भूमि विधिक तरीके से कुछ भूमि बख्शीश की है, जिसमे किसी अन्य का कोई हक हिस्सा व सरोकार नही है ऐसी अवस्था में प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू नहीं बनते है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने प्रस्तुत मूल वाद, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्रों व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागणो द्वारा की गयी बहस, एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन कर विचार किया गया एवं मनन किया गया, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया उसके साथ यह एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया, जिसमे प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि बाबत वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी के खसरा संख्या 210 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा खसरा संख्या 502 रकबा 38 बीघा 06 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 रेकॉर्डड खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष मे उप पंजीयन कार्यालय मे रजिस्टर्ड सुदा बख्शीश नामो के दस्तावेज किये हुए है जिससे प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू नहीं पाये जाते है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दू सुदृढ है, ऐसी अवस्था में एक रेकॉर्डड खातेदार काश्तकार व पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर काबिज काश्त काश्तकारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रदान नही की जा सकती। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई आधार नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)